कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

E-mail ID – janjgir.cg@gov.in Contact & Fax No. 07817-222228

//आदेश//

क्रमांक/ 1207 /एडीएम/2020 **जांजगीर दिनांक 12 .06.2020**

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1080/एडीएम/2020 जांजगीर, दिनांक 31-05-2020 एवं आदेश क्रमांक/1161/एडीएम/2020 जांजगीर, दिनांक 07-06-2020 के द्वारा अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों को प्रातः 7:00 से सायं 7:00 बजे तक सप्ताह में दिन रविवार को छोडकर संचालन की अनुमति दी गई थी।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/313/स.सा.प्र.वि./2020 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 12-06-2020 के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30-05-2020 के अनुक्रम में अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक संचालन हेतु अनुमति दी गई है।

अतः उक्त आदेश/निर्देश के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1080/एडीएम/2020 जांजगीर, दिनांक 31-05-2020 एवं आदेश क्रमांक/1161/एडीएम/2020 जांजगीर, दिनांक 07-06-2020 में आंशिक संशोधन करते हुए दिन रविवार को पूर्णतः बंद को समाप्त करते हुए जिला जांजगीर-चाम्पा में प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक (जिला प्रशासन द्वारा समय-समय में घोषित कंटेनमेंट जोन/बफर जोन को छोडकर) अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

जिले में रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोडकर किसी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नही होगी।

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु भारत सरकार, शासन एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्ते यथावत् रहेंगी।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोविड-19 के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने की दृष्टिकोण से अपने क्षेत्र में पूर्वानुसार साप्ताहिक रूप से बाजार एक दिन बंद रखने की व्यवस्था को बनाये रखा जाये। ऐसे बाजार जो बहुत ही भीड-भाड वाले क्षेत्र है वहां पर अपने स्तर से भीड को सीमित करने हेतु स्थानीय व्यवस्था बनाकर सोशल/फिजिकल डिस्टेंस मेंनटेन किया जाये।

भारत सरकार, शासन एवं इस कार्यालय द्वारा जारी आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग)
जांजगीर दिनांक 12 .06.2020

पृ. क्रमांक/ 1208 /एडीएम/2020
प्रतिलिपि :-

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

2- सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

3- सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

4- आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

5- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।

6- पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ।

8- अनुविभागीय दण्डाधिकारी सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9- सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10- तहसीलदार सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11- उप संचालक, जनसंपर्क जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला दण्डाधिकारी जिला : जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग)